

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०२२

### मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है. संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) की धारा २ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—  
“ (क) “उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग” से अभिप्रेत है, जिला न्यायाधीशों का संवर्ग और इसमें सम्मिलित हैं, प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश (अधिसमय मान), जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी) तथा जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर);”

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

शेड्युल वेतन आयोग (प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग) ने देश में उच्चतर न्यायिक सेवा और निम्नतर न्यायिक सेवा के सदस्यों के एक समान पदाभिधान अंगीकृत किए जाने के आशय से कतिपय अनुशंसाएं की थीं, जो “ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य” (निर्णय दिनांक ८ फरवरी, २००१) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गई हैं.

२. उपरोक्त मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, २०१७ में नाम पद्धति सम्मिलित की गई है.

३. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में, दिनांक ३० मार्च, २०२१ के प्रकाशन द्वारा वही नाम पद्धति मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ (क्रमांक १९ सन् १९५८) में सम्मिलित की गई थी, तदनुसार, मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया गया था:—

“(क) “उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग” से अभिप्रेत है, जिला न्यायाधीशों का संवर्ग और इसमें सम्मिलित हैं, प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) तथा जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी);”

४. उपरोक्त संशोधन में “जिला न्यायाधीश (अधिसमय मान)” का संवर्ग सम्मिलित नहीं है और उल्लिखित संवर्ग अनुक्रम में नहीं हैं. अतएव, उपरोक्त खण्ड में और संशोधन की आवश्यकता है.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:  
तारीख १८ जुलाई, २०२२.

डॉ. नरोत्तम मिश्र  
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, १९५८ ( क्रमांक १९ सन् १९५८ ) से उद्धरण.

\* \* \*

धारा २. (क) "उच्चतर न्यायिक सेवा का संवर्ग" से अभिप्रेत है, जिला न्यायाधीशों का संवर्ग और इसमें सम्मिलित हैं, प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) तथा जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी);".

\* \* \* \* \*

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.